भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4542

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

केरल को चावल का अतिरिक्त आवंटन

4542. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने आगामी ओणम त्योहार के मद्देनजर केंद्रीय पूल से चावल के अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो मांगे गए चावल की मात्रा और केंद्र सरकार को अनुरोध प्राप्त होने की तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस अनुरोध के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और ओणम त्योहार समारोहों के लिए केरल को आवंटित चावल की मात्रा कितनी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें देरी या अस्वीकृति के क्या कारण हैं और क्या सरकार केरल के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और त्योहार सहायता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवंटन पर विचार करेगी; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): जी हां, केरल सरकार ने दिनांक 02.07.2025 को प्राप्त दिनांक 01.07.2025 के अपने पत्र के माध्यम से गैर एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) कार्ड धारकों के लिए सितंबर 2025 में टाइड ओवर दर पर 5 किलोग्राम चावल के अतिरिक्त आबंटन के लिए और ओणम त्योहार को ध्यान में रखते हुए टाइड ओवर भाग के अतिरिक्त उपयोग के संबंध में मासिक अधिकतम सीमा में ढील देने का अनुरोध किया था।

(ग) से (च): केरल सरकार को दिनांक 31.07.2025 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि वह चावल की अतिरिक्त मात्रा ओएमएसएस (खुला बाजार बिक्री योजना) के प्रावधानों के माध्यम से अथवा त्योहारों, प्राकृतिक आपदाओं और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण गेहूं और चावल के अतिरिक्त आबंटन के लिए मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। तदनुसार, केरल सरकार इस संबंध में अनुरोध प्रस्तुत कर सकती है।

ओणम त्योहार को ध्यान में रखते हुए मासिक अधिकतम सीमा में ढील देने के लिए, यह पहले ही सूचित किया जा चुका है कि राज्यों को एनएफएसए के तहत आबंटित राशन का 6 माह तक अग्रिम उठान और वितरण करने की अनुमति है। इसलिए, केरल सरकार मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अग्रिम उठान के प्रावधान का भी पता लगा सकती है।

*****